24/07/2019

तहसीलदार खानपुर से न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.04.18 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित है, जिनको विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया। अधिवक्ता वादी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं।

न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.04.18 की अनुपालना में तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खानपुर की जमाबंदी सं0 2073–76 की खाता सं0 113 की 4 किता रकबा 4.14 बीघा, खाता सं0 144 की 2 किता रकबा 4.10 बीघा में से वादीगण के हिस्से का विभाजन निम्नप्रकार किया जाकर आराजी पृथक–पृथक खाते दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है :–

वादी 1 लगा0 4 :– कमलाबाई पत्नि स्व0 उदयलाल, प्रहलाद, नाबा0 शिखाकुमारी पिता उदयलाल नाबा0 की वली माता कमलाबाई पत्नि स्व0 उदयलाल हि0 1/2 में हि0ब0, रमेशचंद पुत्र धन्नालाल हि0 1/2 कौम गूजर निवासी चांदखेड़ी तह0 खानपुर के पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी

क0सं0	नाम ग्राम	ख0नं0	रकबा(बीघा)	दिशा
1	चांदखेड़ी	170	0.09	पूर्व
2	चांदखेड़ी	172	1.09	पूर्व
3	चांदखेड़ी	184	0.13	सम्पूर्ण
4	चांदखेड़ी	166/535	0.17	पूर्व
5	चांदखेड़ी	185/536	1.04	पूर्व
कुलयोग		5 किता	4.12	

वादी नं0 1 लगा0 5 :– भगवानसिंह, अनारसिंह पुत्र कंवरलाल, सुनीताकुमारी पुत्री कंवरलाल, कैलाशबाई पत्नि कंवरलाल हि0 1/2 में हि0ब0, शोपाल पुत्र धन्नालाल हि0 1/2 कोम गूजर निवासी चांदखेड़ी तह0 खानपुर के पृथक खाते दर्ज होने वाली आराजी

क0सं0	नाम ग्राम	ख0नं0	रकबा(बीघा)	दिशा
1	चांदखेड़ी	170	0.06	पश्चिम
2	चांदखेड़ी	171	0.12	सम्पूर्ण
3	चांदखेड़ी	172	1.05	पश्चिम
4	चांदखेड़ी	166/535	0.13	पश्चिम
5	चांदखेड़ी	185/536	1.16	पश्चिम
कुलयोग		5 किता	4.12	

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा एवं आराजी पर रहन का अंकन यथावत रहेगा। इस प्रकार की अंतिम डिकी मुर्तिब हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद शामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 24/07/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)